बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

–: संकल्प :–

पटना, दिनांक–

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)–सह–जिलाधिकारी नालंदा द्वारा अपने कार्यालय के ज्ञापांक–1547 / गो0 दिनांक–04.03.2022 द्वारा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचित किया गया कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अंतर्गत नवम् चरण मे दिनांक–29.11.2021 को हिलसा प्रखंड ग्राम पंचायत जुनियार के मतदान केंद्र संख्या–85 के निकट गोली चलने की सूचना मतदान केंद्र के सेक्टर पदाधिकारी एवं जोनल पदाधिकारी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत)–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, हिलसा को दी गयी। इस संबंध मे हिलसा थाना मे कांड संख्या–614 / 2021 दर्ज की गयी।

प्राथमिकी के आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)–सह–जिलाधिकारी नालंदा द्वारा उल्लेख किया गया है कि श्री राजीव रंजन प्रसाद, पिता–सियाशरण, साकिन–गुलनी, थाना–हिलसा, जिला–नालंदा के द्वारा गोली चलाया गया है, जो उस समय आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर कार्यरत थे।

उक्त आशय की सूचना प्रतिलिपि के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)–सह–जिलाधिकारी नालंदा द्वारा प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी गयी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)–सह–जिला पदाधिकारी नालंदा के उक्त पत्र के आलोक मे उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–1107 दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से श्री राजीव रंजन प्रसाद, तत्कालीन आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध अग्रेतर कारवाई करने का अनुरोध वित्त विभाग, बिहार, पटना से किया गया। तत्पश्चात् वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक 4594 / वि0 दिनांक 13.05.2022 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि दर्ज प्राथमिकी कांड संख्या–614 / 2021 दिनांक 29.11.2021 के अनुसार श्री राजीव रंजन प्रसाद, पिता–सियाशरण, साकिन–गुलनी, थाना–हिलसा, जिला–नालंदा द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर नवम् चरण मे नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा प्रखण्ड मे मतदान दिवस दिनांक–29.11.2021 को ग्राम पंचायत जुनियार के मतदान केंद्र संख्या–85 के निकट गोली चलाया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 8334 दिनांक 15.09.2020 की कंडिका 5(i) मे प्रावधान किया गया है कि 'यदि किसी सरकारी सेवक के सेवाकाल मे उसके विरूद्ध कोई अपराधिक वाद दायर किया जाय अथवा किसी आपराधिक वाद मे सक्षम न्यायालय मे आरोप पत्र दायर किया जाय, तो संबंधित सरकारी सेवक द्वारा ही उनके विरूद्ध दायर अपराधिक वाद से संबंधित तथ्यपरक सूचना अपने प्रशासी विभाग को दिया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किया जाना संबंधित सरकारी सेवक का कदाचार माना जायेगा।

दिनांक 29.11.2021 को दर्ज हिलसा थाना कांड संख्या 614 / 2021 के लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी श्री प्रसाद द्वारा इस आपराधिकवाद दायर किये जाने की सूचना अपने प्रशासी विभाग को नहीं दिया गया।

श्री प्रसाद का उक्त कृत्य कदाचारपूर्ण पाया गया जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है। फलतः श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये उनसे विभागीय पत्रांक–88 / सी(अनु0) दिनांक–24.06.2022 के द्वारा बचाव लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–56 दिनांक–12.07.2022 के माध्यम से अपने बचाव का लिखित अंतरिम अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रसाद के उक्त बचाव अभिकथन के सम्यक् समीक्षोपरांत असहमत होते हुये विभागीय संकल्प संख्या–22/सी दिनांक–12.02.2024 द्वारा उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें मुख्य जाँच जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–189/स0को0 दिनांक–07.04.2026 के माध्यम से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये तीन आरोपों में से 'आरोप संख्या–03 आंशिक रूप से प्रमाणित होता है' प्रतिवेदित किया गया। तदोपरांत विभागीय पत्रांक–137/सी0 (अनु0) दिनांक–08.05.2026 द्वारा श्री प्रसाद से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक में उनके द्वारा राज्य–कर अपर आयुक्त(वसूली कोषांग), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के कार्यालय पत्रांक–45 दिनांक–21.05.2026 एवं पत्रांक–47 दिनांक–27.05.2026 द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री प्रसाद से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन/निवेदन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी–सह–जाँच आयुक्त से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(1) में अंकित लघु शास्ति 'निन्दन'(जिसकी प्रविष्टि वर्ष 2021–22 की चारित्री में होगी)'' दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री राजीव रंजन प्रसाद, तत्कालीन आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति राज्य–कर उपायुक्त (वसूली कोषांग), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को **''निन्दन (जिसकी प्रविष्टी वर्ष 2021–22 की चारित्री में होगी)''** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– कौन/भी–113/2022 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– कौन/भी–113/2022 2001/सी पटना,दिनांक– 1.7.26

प्रतिलिपिः–माननीय उपमुख्यमंत्री(वाणिज्य–कर), बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में (आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से)/राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, राजपत्रित स्थापना शाखा/आई0टी0 मैनेजर(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) एवं श्री राजीव रंजन प्रसाद, तत्कालीन आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति राज्य–कर उपायुक्त (वसूली कोषांग), केन्द्रीय प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.07.2026

सरकार के उप सचिव।